## **Greater Noida Industrial Development Authority**

Plot No. 01, Sector-KP-IV, Greater Noida City, Distt. G.B.Nagar
PLG/(BP).35.46/.4035
Dated.21/6/.2018

To,

M/s Alpine Infraprojects (P) Ltd. Flat no.-I-0103, Plot no.-GC-02/GH-01, Sector-04, Greater Noida

Sir,

With reference to your application no.-37314, dated-19.06.2018, for grant of Sanction of Building plan on Plot no.-GH-16D, Sector-01. I have to inform you that the sanction is being granted by the Authority with the following conditions:

 This sanction is being granted under the provision of 'The Greater Noida Industrial Development Area Building Regulation 2010.

2. The validity of this sanction is up to-5 Years

In case allotment is cancelled/lease in determine for whatsoever reason by functional department, aforesaid sanction shall automatically be deemed to have been withdrawn.

During this period, after the completion of construction it is necessary to apply for occupancy certificate. Time
extension charge shall be payable as applicable.

If demanded by the Authority. You shall be liable to pay charges for the provision of any further facilities/development/improvement.

A copy of the sanction drawing shall always be kept at site and shall be made available to any officer of the Authority on demand.

 No addition/alteration is permitted in the sanctioned drawings. For any changes prior permission form the Authority required.

 You shall be responsible for carrying out the work in accordance with the requirements of Greater Noida Industrial Development Building Regulation 2010. And directions made form time to time.

Prior permission is required before digging an under ground bore well.

10. No activity other than as specified in lease deed shall be permitted in the premises

- 11. Prior permission is permission from the Authority is required for temporary structure also like labour huts & site office
- 12. Gate shall open on to the service road only. Direct access to the main carriageway shall not be provided,

13. Services, rain water harvesting shall be laid as per approval of Authority.

14. No parking of any kind shall be permitted on r/w of road.

15. Pejometer shall have to be installed as per direction issued by Authority.

- Complying with all the requirement for obtaining NOC from various departments prior to submission of application for occupancy shall be the responsibility of allottee irrespective of the proposal sanctioned by GNIDA.
- 17. Before starting construction, the NOC is required from Ministry of Environment & Forest under notification no-60(A) dated 27-1-1994 and its amendment from time to time or under notification dated 14-09-2006 which ever is applicable. The copy of shall be submitted to the Authority. If construction is started before obtaining the NOC, the sanction shall be treated as cancelled.

 The Promoter shall follow the Apartment Act-2010 and its applicability to the project as per defined rules and amendments made in future. As per the Provision of U.P. Appartment Rules 2011.

19. The construction on the plot shall have to be done in accordance with the provisions of MOEF Guidelines 2010 and Honorable NGT orders from time to time in this regard.

20. The promoter shall inform the office of DGM (PLNG) for site visit when construction upto plinth level and Gr. Floor Slab level is reached. After clearance from planning department the promoter can go ahead with Construction beyond plinth level & Ground Floor slab.

21. The Promoter will be get Labour Cess Registration done with Labour Dept. of U.P. and submit copy in the office of DG,M.(Plng) before Starting any construction.

22. The remaining (75%+18%GST)+12% intrast of fees payable for purchasable FAR shall be payable within 90 days or 31.03.2018, whichever is earlier, otherwise the sanctioned building plan shall automatically be cancelled. After the due date of payment of fees for purchasable the applicant shall have to submit the building sanction plan again with the prevailing plan processing fees. There after the Calculation for the purchasable FAR shall be done as per prevailing charges at the time of re submission of plans. If any other dues are payable in future they will also have to be paid by the applicant

Encl: Copy of sanctioned drawings ( )

Copy to: G.M. (Engg.) for information and n.a.

S.Ex. (Builder.) for information and n.a.

Towne Planner

ie Planner

कार्यालय

उपनिदेशक

फायर सर्विस

मेरठ / सहारनपुर परिक्षेत्र। दिनांकः जून 14, 2018,

पत्रांक:207 / डी०डी० / फा०स० / मेरठ-17(ईको०3) / 314

प्रारूप-घ

औपबन्धिक (provisional) अनापत्ति प्रमाण पत्र

यूआईडी संख्या:-2017 / 36655 / जीबीएन / गीतमबुद्धनगर / 7580 / डी०डी०

दिनांक:-19-04-2018

प्रश्नगत भवन को पूर्व में निर्गत अनापित प्रमाण पत्र का विवरण:— पत्रांकः 207/डी०डी०/फा०स०/मेरठ-17(ईको०३)/1519 दिनांकः 11-11-2017 के द्वारा प्रोवीजनल अग्निशमन अनापित प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) मैसर्स एलपाइन इन्छा प्रोजेक्ट्स प्राठलिठ, पता प्लाट नंठ जीठएचठ-16डीठ, सेक्टर-01 ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर उठप्रठ, जिसमे पूर्व से स्वीकृत तलों की संख्या:-(ब्लॉक ए०-मृतल+22 तल) (ब्लॉक बीठ-मृतल+21 तल) (ब्लॉक सीठ-मृतल+22 तल), तथा वर्तमान में संशोधन के उपरान्त प्रस्तावित तलों की संख्या:-(टावर-01,02,03,04,05,06,07-मृतल+19 तल तक प्रत्येक टावर तथा कुल टावरों की संख्या-07) एवं बेसमेन्ट की संख्या:-02 है. जिनकी अधिकतम कॅचाई:-63.00 मीटर प्रत्येक तथा प्लाट एरिया:-13,800 वर्ग मीठ है। भवन का अधिमोग (भवन स्वामी/अधिमोगी अथवा कम्पनी का नाम) मैसर्स एलपाइन इन्छा प्रोजेक्ट्स प्राठलिठ, द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा अग्न निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के समस्त प्राविधानों का समायोजन एनठबीठसीठ एवं ततसम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरों के आईंठएसठ मानकों की संस्तुतियों के अनुरूप किया गया है। इस भवन को प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनठबीठसीठ की अधिमोग श्रेणी) आवासीय भवन श्रेणी ए०-04 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ के साथ दिया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात तथा भवन के अधिमोग से पूर्व अग्नि एवं जीव रक्षा प्रमाण पत्र (fire & Life safety certificate) प्राप्त किया जायेगा।

संलग्न मानचित्रः

उपितिदेशक फायर सर्विस् वस मेरठ / सहारनपुर परिक्षेत्र । व) अनुमागु—८ दिनांक: 16—02—2018 र

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को शासनादेश संख्याः 1765 / छ:-पु०-08-2017-905(34) / 2016 गृह (पुलिस) अनुमाग-8 दिनांकः 16-02-2018 के कम में सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।

1-महाप्रबन्धक, (वास्तु एवं नियोजन) ग्रेटर नीएडा प्राधिकरण, जनपद गौतमबुद्धनगर।

2-निदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ।

3-संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस उ०प्र० लखनऊ।

4-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ एवं 04 प्रतियों में इस आश्य से प्रेषित कि सम्बन्धित को उनकी उनकी प्रति अपने स्तर से समयबद्ध उपलब्ध करान का कष्ट करें।

5-अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक-03, ग्रेटर नौएडा गौतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ एवं अभिलेखीयकरण हेतु।

6—मैसर्स एलपाइन इन्का प्रोजेक्टस प्राठलिठ, प्लाट नंठ जीठएच०—16डीठ, सेक्टर—01 ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर उ०प्रठ को उक्त के सन्दर्भ में अनुपालनार्थ। कार्यालय

उपनिदेशक

फायर सर्विस

पत्रांक:207 / डी०डी० / फा०स० / मेरठ-17(ईको०३) / ठा 4

मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र। दिनांकः अप्रैल । १२ 2018,

प्रारूप-घ

औपबन्धिक (provisional) अनापत्ति प्रमाण पत्र

यूआईडी संख्या:-2017/36655/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/7580/डी०डी०

दिनांक:-19-04-2018

प्रश्नगत भवन को पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण:- पत्रांकः 207/डी०डी०/फा०स०/मेरठ-17(ईको०३)/1519 दिनांकः 11-11-2017 के द्वारा प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) <u>मैसर्स एलपाइन प्रोजेक्टस प्राठलिठ, पता प्लाट नंठ जीठएचठ—16डीठ,</u> सेक्टर—01 ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर उठप्रठ, जिसमे पूर्व से स्वीकृत तलो की संख्या:—(ब्लॉक ए०—मूतल+22 तल) (ब्लॉक बीठ—मृतल+21 तल) (ब्लॉक सीठ—मृतल+22 तल), तथा वर्तमान में संशोधन के उपरान्त प्रस्तावित तलों की

संख्या:-(टावर-01,02,03,04,05,06,07-भूतल+19 तल तक प्रत्येक टावर तथा कुल टावरों की संख्या-07) एवं बेसमेन्ट की संख्या:-02 है,

जिनकी अधिकतम <u>कॅचाई:-63.00 मीटर प्रत्येक</u> तथा <u>प्लाट एरिया:-13,800 वर्ग मी०</u> है। भवन का अधिमोग (भवन स्वामी/अधिमोगी अथवा

कम्पनी का नाम) मैसर्स एलपाइन प्रोजेक्टस प्राठलिठ, द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के समस्त प्राविधानों का

समायोजन एन०बी०सी० एवं ततसम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो के आई०एस० मानको की संस्तुतियो के अनुरूप किया गया है। इस भवन को

प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन०बी०सी० की अधिमोग श्रेणी) **आवासीय भवन श्रेणी ए०-०४** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ के साथ दिया

जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात तथा भवन के अधिमोग से पूर्व

अग्नि एवं जीव रक्षा प्रमाण पत्र (fire & Life safety certificate) प्राप्त किया जायेगा।

संलग्न गानचित्रः

(अमन शर्मा)

उपनिदेशक, फायर सर्विक मरठ/सहारमपुर परिक्षेत्र।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को शासनादेश संख्याः 1765 / छ:-पु0-08-2017-905(34) / 2016 गृह (पुलिस) अनुभाग-8 दिनांकः 16-02-2018 के कम में सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेत्।

1-महाप्रवन्धक, (वास्तु एवं नियोजन) ग्रेटर नीएडा प्राधिकरण, जनपद गौतमबुद्धनगर।

2-निदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ।

3-संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस उ०प्र० लखनऊ।

4-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ एवं 04 प्रतियों में इस आश्य से प्रेषित कि सम्बन्धित को उनकी उनकी प्रति अपने स्तर से समयबद्ध उपलब्ध करान का कष्ट करें।

5-अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक-03, ग्रेटर नीएडा गौतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ एवं अभिलेखीयकरण हेतु।

6-मैसर्स एलपाइन प्रोजेक्टस प्राठलिठ, प्लाट नंठ जीठएच०-16डीठ, सेक्टर-01 ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर उठप्रठ को अनुपालनार्थ।